



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 53]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अधिसूचना

NOTIFICATION

मुम्बई, 18 मार्च, 2011

Mumbai, the 18th March, 2011

सं एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/25/9002.—

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 25वीं मंजिल, वेस्ट विंग, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 22 मार्च, 2011 को प्रारंभ होने वाली और 21 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएं के अधीन प्रदान करता है :-

- एक्सचेंज ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।

डॉ. के. एम. अब्राहम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जेडबी/2010-असा.]

No. LAD-NRO/GN/2010-11/25/9002.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by United Stock Exchange of India Limited having its registered office at 25th Floor, West Wing, P. J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 22nd day of March, 2011 and ending on the 21st day of March, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated hereinbelow or as may be prescribed or imposed hereafter :—

- The Exchange shall comply with such conditions as may be prescribed by SEBI from time to time.

Dr. K. M. ABRAHAM, Whole Time Member

[ADVT. III/4/69-ZB/2010-Exty.]